



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275747
CG-DL-E-25082026-275747

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4526]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4526]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4711(अ).—केंद्रीय सरकार, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 26 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि प्रति मास इक्कीस हजार रुपये से अनधिक मजदूरी पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उक्त उप धारा में यथा विनिर्दिष्ट बोनस संदत्त किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 21 नवंबर, 2025 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. एस-33027/4/2026-डब्ल्यूबी]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4711(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Central Government hereby determines that every employee drawing wages not exceeding twenty-one thousand rupees per mensem shall be paid bonus as specified in the said sub-section.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 21st day of November, 2025.

[F. No. S-33027/4/2026-WB]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.